# कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक–3293/12–1, दिनांकः मसूरी, 23/3/2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

**विषयः–** **जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत मसराना–किमोई मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–8.00 किमी0 ) के निर्माण हेतु अपेक्षित 5.3025है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड, थत्यूड़, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– आनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/23731/2017, दिनांक 23–01–2017, आपका पत्रांक –373/21सी0 दिनांक 01–03–2018 तथा ई0डी0एस0 दिनांक 17–03–2018 एंव इस कार्यालय की पत्र सं0 2101/12–1, दिनांक 13–12–2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव दिनांक 17–03–2018 को इस कार्यालय में आनलाईन प्राप्त हुआ। आनलाईन प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से पुनः जॉच /परीक्षण करने पर पाया कि प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दुओं /आपत्तियों का निराकरण किये बिना ही वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। अतः आनलाईन प्रस्ताव में प्रभाग स्तर से इंगित कतिपय कमियों/आपत्तियों का निराकरण हेतु आनलाईन प्रस्ताव इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में बिन्दुवार कमियों/आपत्तियों का निराकरण करते हुए परिपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. प्रस्ताव में चस्पा विषय सूची में प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रतिवेदन क्रमांक का उल्लेख नहीं है। प्रस्ताव की हार्ड प्रति में अभी भी त्रृटिपूर्ण प्रतिवेदन संलग्न/चस्पा किया गया है। कृपया संशोधित प्रतिवेदन को प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा किया जाय।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले त्रृटिपूर्ण प्रपत्र–1 के स्थान संशोधित प्रपत्र–1 को प्रस्ताव में यथास्थान संलग्न/चस्पा चस्पा किया जाय।
3. प्रस्ताव के मुख पृष्ठ की गणनानुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वांछित सिविल सोयम भूमि के लैण्ड शैड्यूल की मूल प्रति प्रस्ताव में चस्पा की जाय। प्रस्तावक /लो0नि0वि0 के स्तर से प्रस्ताव की हार्ड प्रति में अभी भी त्रृटिपूर्ण प्रपत्र चस्पा /संलग्न है।
4. प्रस्तावित मोटर मार्ग के प्रथम 600.00मी0 कुल 0.42है0 भाग मसूरी वन्यजीव विहार में प्रस्तावित होने के फलस्वरूप प्रकरण में वैज्ञानिक सी/उप निदेशक(वन्यजीव) वन एंव पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रास्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 39वी. बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 39.5.1 के अनुपालन में अपेक्षित चार बिन्दुओं की अनुपालन आख्या आनलाईन अपलोड नहीं की गयी है नहीं बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन में मसराना नामक स्थान पर बनायी जानी वाली दो मंजिला वन चौकी के निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि के प्राक्कलन की हार्ड प्रति को प्रस्ताव में चस्पा किया गया है तथा नहीं ही वांछित प्राक्कलन /अभिलेख आनलाईन अपलोड किया गया है। जबकि उक्त कार्य हेतु वांछित प्राक्कलन की तीन प्रति आपको प्रभागीय पत्र सं0 2957/12–1, दिनांक 17–02–2018 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की गयी हैं।
5. प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों की गणना /मूल्यांकन सूची प्रस्ताव में यथा स्थान चस्पा/संलग्न नहीं की गयी है साथ ही मसूरी वन्य जीव विहार के कार्यक्षेत्रान्तर्गत पडने वाली आरक्षित/संरक्षित वन भूमि में अवस्थित वृक्षों की सूची को आनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।

6. प्रभागीय कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दु सं0 6 के अनुपालन में प्रस्तावक /लो0नि0वि0 के स्तर से वांछित कार्यवाही सम्बन्धी डिजीटल मानचित्र के अनुरूप संशोधित लैण्ड शैड्यूल प्रस्ताव में चस्पा /संलग्न नहीं किया गया है।
7. आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के पैरा L(h) copy of non encumberence certificate for the forest land के स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया है। कृपया यथास्थान वांछित प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाय।
8. आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के पैरा L(g) MOU/agreement excuted between the project owner and the user arency के स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण–पत्र अपलोड किये गये है। जो वाछित प्रमाण–पत्र के अनुरूप नहीं है। कृपया यथास्थान उपयुक्त प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से जॉच /परीक्षण उपरान्त ही वांछित कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित कियें जांय, ताकि अनावश्यक समय की बर्बादी एंव पत्राचार से बचा जा सकें।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3293 /दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्न को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में।

1. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी(मसूरी) मसूरी वन प्रभाग।
3. वन क्षेत्राधिकारी, जौनपुर को प्रभागीय कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पिषयांकित प्रकरण में वांछित प्राक्कलन तीन प्रतियों में लौटती डाक से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।